सीएनडी वेस्ट, सड़क बाधा करने और गंदगी फैलानों वालों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, 23 स्थानों से सामान जप्ती के साथ 37 हजार लिया गया जुर्माना

भिलाई नगर / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने लगातार कार्य किए जा रहे है , निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी बाजार क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं विक्रय करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है , शहर साफ सुथरा रहे इसके लिए निगम प्रशासन नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने कचरे को सफाई वाहन को देने लगातार अपील व जागरूक कर रहे है, बावजूद कुछ लोगो के बाज नहीं आने पर कार्रवाई की जा रही है। जोन 01 एवं जोन 02 की टीम ने आज ऐसे 23 स्थानों से 37 हजार रूपए जुर्माना लिए। भिलाई निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं विक्रय, गंदगी फैलाने, सड़क बाधा करने वालो पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त रोहित व्यास ने दिए है। जोन स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए हाईटेक हास्पिटल एवं बी.एम.साह हास्पिटल पर तीन-तीन हजार का जुर्माना लगाया गया। प्रत्येक जोन में कर्मचारियों की टीम द्वारा वार्डो का निरिक्षण किया जा रहा है और जहां कही भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग एवं विक्रय, सड़कों में वेस्ट मटेरियल, सार्वजनिक स्थानों में गंदगी फैलाने और सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल या अन्य तरह से सड़क बाधा करते हुए पाए जाने पर सामान जप्ती करने के साथ ही जुर्माना भी वसूल रहे है।

इन पर लगा जुर्माना -रेशम यादव से 1000, बी.एम.शाह हास्पिटल से 3000, हाईटेक हास्पिटल से 3000, गणेश पान सेंटर से 1000, आनंद पान पैलेस से 1000, मसाला बिरयानी से 800, जय चिकन सेंटर से 1000, सुरज नास्ता सेंटर से 500, शंकर इटली सेंटर से 2000, डेली निड से 2000, शंकर टी स्टॉल से 500, सृष्टि नास्ता सेंटर से 2000, दादा बिरयानी सेंटर से 5000, श्रीवास सेलून से 1000, विकास से 500, सुखदेव साहू से 1000, समृति नगर चाय ठेला से 500, जमुना से 500, युनिक कार सेंटर से 500, ड्राईविंग स्कूल से 2000, शहीनसा खान से 500, जोन 02 रामनगर में बिल्डिंग मटेरियल डम्प कर सड़क बाधा करने वाले शिवशंकर से 3000 एवं अर्जुन साव से 2000 रूपये जुर्माना वसूल किया गया।